कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

आदेश सं0:शि0स0–1/सम्बद्धता/ 5138-40 /2016–17 दिनांक 21 जुलाई 2016

संशोधन/आदेश

कार्यालय ज्ञाप आदेश सं0:शि0स0–1/सम्बद्धता/6244–51/2015–16 दिनांक 24 नवम्बर 2015 के क्रम में निर्गत आदेश एन0 एन0 कालेज ऑफ हायर एजूकेशन, ग्राम वाजिदपुर, पोस्ट–सिढ़पुरा, जनपद–कासगंज के स्थान पर एस0 एन0 कालेज ऑफ हायर एजूकेशन, ग्राम वाजिदपुर, पोस्ट–सिढ़पुरा, जनपद–कासगंज पढ़ा जायें, शेष यथावत् रहेगा।

श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)
सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

पृ0 स0: शि0स0–1/ 5138-46 /2016–17 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, एटा।
3. प्रबन्धक, एस0 एन0 कालेज ऑफ हायर एजूकेशन, ग्राम वाजिदपुर, पोस्ट–सिढ़पुरा, जनपद–कासगंज

21.7.16

श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)
सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

संख्या–1556 /15–11–2015

प्रेषक,

कामता प्रसाद सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद,
उ0प्र0, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग–11 लखनऊः दिनांकः 12 अक्टूबर, 2015

विषय– निजी संस्थान एन0एन0 कालेज ऑफ हायर एजूकेशन, ग्राम वाजिदपुर, पो0 सिढ़पुरा, जनपद कासगंज को बी0टी0सी0 पाठ्यकम के संचालन हेतु सम्बद्धता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निजी संस्थान एन0एन0 कालेज ऑफ हायर एजूकेशन, ग्राम वाजिदपुर, पो0 सिढ़पुरा, जनपद कासगंज को शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरांत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दो वर्षीय बी0टी0सी0 पाठ्यकम के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विषयक निर्गत आदेश में अंकित शर्तो तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक सत्र 2015–16 से 50 (पचास) सीटों की सम्बद्धता प्रदान की जाती हैः–

(1) संस्थान द्वारा लगातार प्राभूत एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय–समय पर संशोधित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।

(2) जिन मानकों एवं शर्तो के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्थान द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। संस्थान पर एन0सी0टी0ई0 तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर बनाये जाने वाले नियम लागू होंगे।

(3) नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रकिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क, अन्य कोई भी चार्ज, परीक्षा की समय–सारिणी तथा पाठ्यकम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।

(5) सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार विधिवत् चयनित संकाय सदस्यों का अनुमोदन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा। यह अभिलेख स्थायी होंगे, जिन्हें सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थायी रूप से रखा जायेगा।

(6) संस्थान द्वारा अपनी वेव–साइट राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट के साथ हाइपरलिंक की जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उल्लेख वेव–साइट पर किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत संस्थान को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक–22.09.2015 के कार्यवृत्त में की गयी संस्तुति के आधार पर बी0टी0सी0 पाठ्यकम के संचालन हेतु शैक्षिक सत्र 2015–16 से 50 (पचास) सीटों की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन0सी0टी0ई0 के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

भवदीय,

(कामता प्रसाद सिंह)
अनु सचिव।

संख्या–1556 (1)/15–11–2015, तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, हंस भवन, 01 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली, पिन–110002
2– क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, चौथी मंजिल, जीवन निधि-II, एल0आई0सी0 बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर 302005, राजस्थान।
3– सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4– प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, सम्बन्धित जनपद।
5– सचिव/प्रबन्धक, एन0एन0 कालेज ऑफ हायर एजूकेशन, ग्राम वाजिदपुर, पो0 सिढ़पुरा, जनपद कासगंज।
6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कामता प्रसाद सिंह)
अनु सचिव।